फा.सं.जेड-14014/2/2020-जीसी (ई-3010062)

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन,

नई दिल्ली-110011

दिनांक: 16.10.2020

कार्यालय-ज्ञापन

विषय: सितंबर, 2020 के दौरान भूमि संसाधन विभाग के प्रमुख कार्यकलापों का मासिक सार।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर मंत्रिमंडल सचिवालय से प्राप्त दिनांक 17.08.2018 एवं 11.10.2018 के पत्रांक 1/26/1/2018-कैब. का संदर्भ लेने और इस पत्र के साथ सितंबर, 2020 के लिए भूमि संसाधन विभाग के मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति परिचालित करने का निदेश हुआ है।

अनुलग्नकः यथोक्त।

(अर्जुन राणा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23044653

सेवा में,

मंत्री परिषद के सभी सदस्य।

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1) भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली -110004
2) भारत के उप-राष्ट्रपति के सचिव, नं. 5, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली -110011
3) भारत के प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली -110011
4) उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
5) सभी सचिव, भारत सरकार।
6) निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
7) तकनीकी निदेशक, (एनआईसी) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. माननीय ग्रामीण विकास मंत्री के निजी सचिव
2. माननीया ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के निजी सचिव।

भूमि संसाधन विभाग द्वारा सितंबर, 2020 के दौरान किए गए महत्वपूर्ण कार्यकलापों और लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का मासिक सार

दिनांक 08.09.2020 को रक्षा मंत्रालय को अरुणाचल प्रदेश में भूमि के अधिग्रहण के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 के 30) की धारा 3 के खंड (ड.) के उपखंड (v) के तहत तीन मामलों में 'समुचित सरकार' अधिसूचित किया था।

भूमि संसाधन विभाग ने सचिव (भूमि संसाधन) की अध्यक्षता में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की प्रगति की समीक्षा के लिए अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/पंजीयन महानिरीक्षक (आईजीआर) स्तर के राज्य राजस्व अधिकारियों के साथ 22.09.2020 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। बैठक में विशेषकर बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा और झारखंड में विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) को शुरू करने के लिए राज्यों की तैयारी और राष्ट्रीय व्यापक दस्तावेज़ रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) के कार्यान्वयन के मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया था। विचार-विमर्श के उपरांत यूएलपीआईएन के प्रायोगिक परीक्षण के लिए चार और राज्यों : कर्नाटक, तमिलनाडु, त्रिपुरा और सिक्किम को भी चिन्हित किया गया था।

एमआईएस पर यथा अद्यतन डीआईएलआरएमपी के विभिन्न घटकों की प्रगति इस प्रकार है:

i. 591,557 ग्रामों में भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा किया गया।
ii. 4736 एसआरओ के रजिस्ट्रीकरण के कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा किया गया।
iii. 8,358,040 भूकर मानचित्रों/एफ़एमबी/टिप्पनों के डिजिटीकरण का कार्य पूरा किया गया।
iv. भूमि अभिलेखों के साथ 3677 एसआरओ के एकीकरण का कार्य पूरा किया गया।
v. 1,965 तहसीलों में आधुनिक अभिलेख कक्षों को स्थापित किया गया।

सचिव (भूमि संसाधन) की अध्यक्षता में दिनांक 24.09.2020 को भूमि पट्टा संबंधी समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया जिसका कार्य एक ओर वास्तविक कृषकों/खेतिहरों को केन्द्रीय सरकार की स्कीमों के लाभों को प्रदान करने तथा दूसरी ओर भू-स्वामियों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से भूमि पट्टा पर भावी कार्यनीति का सुझाव देना है। इस बैठक में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा राज्यों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/राजस्व सचिव और कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समिति के सदस्यों से प्रस्तुतीकरण पर विशिष्ट विचारों के साथ उनके राज्यों के अधिनियमों/विधेयकों; भूमि पट्टा संबंधी चुनौतियां और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनाए गए तरीकों की कार्यान्वयन स्थिति पर अनुभव साझा करने का अनुरोध किया गया।

सचिव (भूमि संसाधन) की अध्यक्षता में दिनांक 25.09.2020 को आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना राज्यों में डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु वीडियो कोन्फ्रेंस का